



झारखण्ड सरकार

राँची समाहरणालय, राँची ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

dlaoranchi@gmail.com, dlaoranchi@rediffmail.com

पत्रांक 1763 (11)

प्रेषक,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
राँची ।

सेवा में,

- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, राँची ।
- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, राँची ।
- ✓ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची ।

दिनांक 22/11/18

विषय :- राजधारी राँची के काँटाटोली चौक पर अवस्थित बिरसा मुण्डा बस टर्मिनल में पहुँच पथ पुर्न निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य परियोजना अन्तर्गत मौजा-कोनका में अर्जित की जाने वाली भूमि का धारा-19(1) के तहत प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राजधारी राँची के काँटाटोली चौक पर अवस्थित बिरसा मुण्डा बस टर्मिनल में पहुँच पथ पुर्न निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य परियोजना अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के अन्तर्गत धारा-19 (1) का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, जिला गजट एवं समुचित सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशन करने की कृपा करें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
राँची ।

20/11/18



राँची समाहणालय, राँची

भूमि अर्जन शाखा

कमरा सं०-१०२, ब्लॉक 'ए'

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा- काँटाटोली चौक पर अवस्थित बिरसा मुण्डा बस टर्मिनल परियोजना हेतु मौजा-कोनका, थाना नं.-198, अंचल:-शहर, जिला-राँची में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश रकबा-24.585 एकड़ भूमि अपेक्षित है।


इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश-24.585 एकड़ है, जो मौजा-कोनका, थाना नं.-198, अंचल:-शहर, जिला-राँची में है, जिसकी विवरण निम्नलिखित है :-

कोनका

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (डिस.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	-	MS-250P	रैयती		24.585	प्रशान्तो दास चौधरी, जयन्तो दास चौधरी, पिता-सुधीर रंजन दास, ओंकारमल राम शइका, पिता-पिर्थी राम शइका, जॉर्ज खलखो, पिता-नुआद खलखो, राम सिंह पाहन, पिता-सुखलाल पाहन, नावेल मुण्डा, पिता-शहदेव मुण्डा, सावित्री भट्टाचार्य, पिता-किरणमयी भट्टाचार्य, सम्पर्णा देवी, पति-दिलीप कुमार, रायसद पाहन पिता सुखलाल पाहन	पुरुलि या रोड	प्लॉट 250	प्लॉट 250	एकजीट रोड बस स्टैंड
				कुल	24.585					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/ 2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :- (शून्य)

मौजा-.....X....., थाना नं.-.....X....., अंचल.....X....., जिला-.....X..... में क्षेत्रफल-..... X एकड़, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


उपायुक्त,
राँची।